# ग्रामीण विकास मंत्रालय

## मांग संख्या 87

## ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | संशोधित 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 288446.44 | ... | 288446.44 | 247944.29 | ... | 247944.29 | 303558.80 | ... | 303558.80 | 236541.48 | 3.52 | 236545.00 |
| *वसूलियां* | *-128012.98* | ... | *-128012.98* | *-112000.00* | ... | *-112000.00* | *-122437.00* | ... | *-122437.00* | *-79000.00* | ... | *-79000.00* |
| *प्राप्तियां* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **निवल** | **160433.46** | **...** | **160433.46** | **135944.29** | **...** | **135944.29** | **181121.80** | **...** | **181121.80** | **157541.48** | **3.52** | **157545.00** |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| **केंद्र का व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| **केन्द्र का स्थापना व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 72.13 | ... | 72.13 | 57.90 | ... | 57.90 | 81.66 | ... | 81.66 | 60.50 | 3.52 | 64.02 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| 2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण | 99.35 | ... | 99.35 | 212.19 | ... | 212.19 | 126.22 | ... | 126.22 | 113.49 | ... | 113.49 |
| 3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान | 105.48 | ... | 105.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं** | **204.83** | **...** | **204.83** | **212.20** | **...** | **212.20** | **126.22** | **...** | **126.22** | **113.49** | **...** | **113.49** |
| **केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय** | | | | | | | | | | | | |
| **स्वायत्त निकाय** | | | | | | | | | | | | |
| 5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद | ... | ... | ... | 135.46 | ... | 135.46 | 114.59 | ... | 114.59 | 115.00 | ... | 115.00 |
| **अन्य** | | | | | | | | | | | | |
| 6. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां | -45.14 | ... | -45.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय** | **-45.14** | **...** | **-45.14** | **135.46** | **...** | **135.46** | **114.59** | **...** | **114.59** | **115.00** | **...** | **115.00** |
| **राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण** | | | | | | | | | | | | |
| **केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | | | | | | | | | | | | |
| **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** | | | | | | | | | | | | |
| 7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) | 5806.39 | ... | 5806.39 | 6564.31 | ... | 6564.31 | 6602.09 | ... | 6602.09 | ... | ... | ... |
| 8. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | 339.25 | ... | 339.25 | 675.01 | ... | 675.01 | 674.69 | ... | 674.69 | ... | ... | ... |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | संशोधित 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस) | 1769.20 | ... | 1769.20 | 2027.00 | ... | 2027.00 | 2027.00 | ... | 2027.00 | ... | ... | ... |
| 10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) | 237.39 | ... | 237.39 | 290.00 | ... | 290.00 | 290.00 | ... | 290.00 | ... | ... | ... |
| 11. अन्नपूर्णा योजना | ... | ... | ... | 95.99 | ... | 95.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. प्रशासनिक व्यय | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 58.22 | ... | 58.22 | ... | ... | ... |
| **जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** | **8152.23** | **...** | **8152.23** | **9652.31** | **...** | **9652.31** | **9652.00** | **...** | **9652.00** | **...** | **...** | **...** |
| *13. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम* | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6634.32 | ... | 6634.32 |
| 13.02 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 659.00 | ... | 659.00 |
| 13.03 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2026.99 | ... | 2026.99 |
| 13.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 290.00 | ... | 290.00 |
| 13.05 अन्नपूर्णा योजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.01 | ... | 10.01 |
| 13.06 प्रशासनिक व्यय | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.00 | ... | 16.00 |
| *जोड़- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *9636.32* | *...* | *9636.32* |
| **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम** | | | | | | | | | | | | |
| 14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण | 98467.85 | ... | 98467.85 | 73000.00 | ... | 73000.00 | 89400.00 | ... | 89400.00 | 60000.00 | ... | 60000.00 |
| 15. मनरेगा- कार्यक्रम घटक | 98467.84 | ... | 98467.84 | 73000.00 | ... | 73000.00 | 89400.00 | ... | 89400.00 | 60000.00 | ... | 60000.00 |
| 16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि | -98467.84 | ... | -98467.84 | -73000.00 | ... | -73000.00 | -89400.00 | ... | -89400.00 | -60000.00 | ... | -60000.00 |
| **जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम** | **98467.85** | **...** | **98467.85** | **73000.00** | **...** | **73000.00** | **89400.00** | **...** | **89400.00** | **60000.00** | **...** | **60000.00** |
| **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** | | | | | | | | | | | | |
| *17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण | 10000.00 | ... | 10000.00 | 19000.00 | ... | 19000.00 | 19000.00 | ... | 19000.00 | 19000.00 | ... | 19000.00 |
| 17.02 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक | 13140.92 | ... | 13140.92 | 16090.00 | ... | 16090.00 | 16090.00 | ... | 16090.00 | 16100.00 | ... | 16100.00 |
| 17.03 पीएमजीएसवाई- ईएपी घटक | 510.74 | ... | 510.74 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | ... | ... | ... |
| 17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 1900.00 | ... | 1900.00 | 1900.00 | ... | 1900.00 | 1900.00 | ... | 1900.00 |
| 17.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना | 340.00 | ... | 340.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 |
| 17.06 घटाएँ केंद्रीय सड़क/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि | -10000.00 | ... | -10000.00 | -19000.00 | ... | -19000.00 | -19000.00 | ... | -19000.00 | -19000.00 | ... | -19000.00 |
| *निवल* | *13991.66* | *...* | *13991.66* | *19000.00* | *...* | *19000.00* | *19000.00* | *...* | *19000.00* | *19000.00* | *...* | *19000.00* |
| **राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका** | | | | | | | | | | | | |
| *18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन* | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक | 8947.61 | ... | 8947.61 | 11552.77 | ... | 11552.77 | 11552.77 | ... | 11552.77 | 9494.65 | ... | 9494.65 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | | संशोधित 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 18.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक | 435.32 | ... | 435.32 | 500.00 | ... | 500.00 | 500.00 | ... | 500.00 | 3272.00 | ... | 3272.00 |
| 18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 1283.65 | ... | 1283.65 | 1283.65 | ... | 1283.65 | 1362.52 | ... | 1362.52 |
| *जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन* | *9382.93* | *...* | *9382.93* | *13336.42* | *...* | *13336.42* | *13336.42* | *...* | *13336.42* | *14129.17* | *...* | *14129.17* |
| **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन** | | | | | | | | | | | | |
| 19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन | 150.10 | ... | 150.10 | 550.00 | ... | 550.00 | 988.91 | ... | 988.91 | ... | ... | ... |
| **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)** | | | | | | | | | | | | |
| *20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण* | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण | 19500.00 | ... | 19500.00 | 20000.00 | ... | 20000.00 | 14037.00 | ... | 14037.00 | ... | ... | ... |
| 20.02 पीएमएवाई- कार्यक्रम घटक | 26242.24 | ... | 26242.24 | 15999.99 | ... | 15999.99 | 44421.99 | ... | 44421.99 | 50486.99 | ... | 50486.99 |
| 20.03 ईबीआर ऋणों के लिए नाबार्ड को ब्याज भुगतान | 3814.63 | ... | 3814.63 | 4000.00 | ... | 4000.00 | 4000.00 | ... | 4000.00 | 4000.00 | ... | 4000.00 |
| 20.04 ब्याज सब्सिडी | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 20.05 घटाएं/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि | -19500.00 | ... | -19500.00 | -20000.00 | ... | -20000.00 | -14037.00 | ... | -14037.00 | ... | ... | ... |
| *निवल* | *30056.87* | *...* | *30056.87* | *20000.00* | *...* | *20000.00* | *48422.00* | *...* | *48422.00* | *54487.00* | *...* | *54487.00* |
| **जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | **160201.64** | **...** | **160201.64** | **135538.73** | **...** | **135538.73** | **180799.33** | **...** | **180799.33** | **157252.49** | **...** | **157252.49** |
| ***कुल जोड़*** | ***160433.46*** | ***...*** | ***160433.46*** | ***135944.29*** | ***...*** | ***135944.29*** | ***181121.80*** | ***...*** | ***181121.80*** | ***157541.48*** | ***3.52*** | ***157545.00*** |
| **ख. विकास शीर्ष** | | | | | | | | | | | | |
| **सामाजिक सेवाएं** | | | | | | | | | | | | |
| 1. आवासन | 3813.78 | ... | 3813.78 | 4082.44 | ... | 4082.44 | 4082.44 | ... | 4082.44 | 4069.49 | ... | 4069.49 |
| 2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | -0.54 | ... | -0.54 | 22.56 | ... | 22.56 | 61.67 | ... | 61.67 | 21.23 | ... | 21.23 |
| **जोड़-सामाजिक सेवाएं** | **3813.24** | **...** | **3813.24** | **4105.00** | **...** | **4105.00** | **4144.11** | **...** | **4144.11** | **4090.72** | **...** | **4090.72** |
| **आर्थिक सेवाएं** | | | | | | | | | | | | |
| 3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 1901.06 | ... | 1901.06 | 3089.42 | ... | 3089.42 | 3089.42 | ... | 3089.42 | 3910.64 | ... | 3910.64 |
| 4. ग्रामीण रोजगार | 98441.36 | ... | 98441.36 | 73000.00 | ... | 73000.00 | 89400.00 | ... | 89400.00 | 60000.00 | ... | 60000.00 |
| 5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 198.53 | ... | 198.53 | 404.13 | ... | 404.13 | 186.52 | ... | 186.52 | 140.47 | ... | 140.47 |
| 6. सड़क और पुल | 188.67 | ... | 188.67 | 250.80 | ... | 250.80 | 250.80 | ... | 250.80 | 258.02 | ... | 258.02 |
| 7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 72.07 | ... | 72.07 | 57.90 | ... | 57.90 | 81.66 | ... | 81.66 | 60.50 | ... | 60.50 |
| 8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.52 | 3.52 |
| **जोड़-आर्थिक सेवाएं** | **100801.69** | **...** | **100801.69** | **76802.25** | **...** | **76802.25** | **93008.40** | **...** | **93008.40** | **64369.63** | **3.52** | **64373.15** |
| **अन्य** | | | | | | | | | | | | |
| 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 6232.45 | ... | 6232.45 | 5902.47 | ... | 5902.47 | 9257.08 | ... | 9257.08 |
| 10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 54132.68 | ... | 54132.68 | 46814.10 | ... | 46814.10 | 75167.39 | ... | 75167.39 | 77029.71 | ... | 77029.71 |
| 11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 1685.85 | ... | 1685.85 | 1990.49 | ... | 1990.49 | 2899.43 | ... | 2899.43 | 2794.34 | ... | 2794.34 |
| **जोड़-अन्य** | **55818.53** | **...** | **55818.53** | **55037.04** | **...** | **55037.04** | **83969.29** | **...** | **83969.29** | **89081.13** | **...** | **89081.13** |
| **कुल जोड़** | **160433.46** | **...** | **160433.46** | **135944.29** | **...** | **135944.29** | **181121.80** | **...** | **181121.80** | **157541.48** | **3.52** | **157545.00** |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जागरूकता सृजन (IEC), निगरानी तंत्र को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रबंधन सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

3. **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थं संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इसे अन्य केन्द्रीय व्यय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

5. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थं संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।

13. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:** इसमें : (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) – इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले परिवार की सदस्य और 60 वर्ष से या इससे अधिक वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। 60-70 के बीच के आयु वर्ग के व्यक्ति को 200/- रु. प्रति माह की तथा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को 500/- रु. प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना – इस योजना के तहत एक बीपीएल परिवार को 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के मुख्य आजीविका प्रदाता की मृत्यु पर 20,000 रु. के एकमुश्त राशि की सहायता की पात्रता है। (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) - भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले परिवार की सदस्य और 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा को 300/- रु. प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस में अंतरित किया जाएगा और 500/- रु. प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा। (iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) – इस योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों तथा गंभीर या बहु विकलांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 300/- रू. प्रति महीने की दर से सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस में अंतरित किया जाएगा और 500/- रु. प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा। (V) अन्नपूर्णा योजना- इस योजना के तहत आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र होने के वाबजूद पेंशन प्राप्त नहीं करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है। (VI) प्रशासनिक व्यय- एनएसएपी गरीबों के लिए एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है- इसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन और आजीविका कमाने वाले की मृत्यु के मामले में परिवार के किसी सदस्य को सहायता दी जाती है, जिससे राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे या भविष्य में प्रदान किए जा सकने वाले लाभों के अतिरिक्त न्यूनतम राष्ट्रीय मानको को सुनिश्चित करना लक्षित किया गया है।

15. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का लक्ष्य सामान्य कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होने वाले वयस्क सदस्यों वाले परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी पारिश्रमिक रोजगार प्रदान करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना है। पहले चरण में 02 फरवरी, 2006 से अत्यधिक पिछड़े 200 जिलों में महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन किया गया था और 01 अप्रैल, 2007 और 15 मई, 2007 से इसे क्रमशः 113 और 17 जिलों में विस्तारित किया गया। शेष जिलों को 01 अप्रैल, 2018 से इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया। इस प्रकार इस समय इस अधिनियम के तहत भारत के सभी ग्रामीण जिले शामिल किए गए।इस योजना के उद्देश्यों में मांग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों तक सामान्य शारीरिक श्रम प्रदान करना शामिल है जिसके परिणामस्वरूप नियत गुणवत्ता वाली और टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन, गरीबों के आजीविका संसाधन के आधार को मजबूत बनाना, सामाजिक समावेशिता को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना तथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत बनाना संभव हो पाता है।

17. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण भारत में सबसे अधिक सफल पहलों में से एक है जिसमें निर्दिष्ट जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार पठार क्षेत्र में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर, पहाड़ी, जनजातीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक, एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में 100-239 जनसंख्या) वाले स्थानों में बारहमासी सड़कों की संपर्कता प्रदान की जाती है। अपनी शुरूआत से लेकर 13 जनवरी, 2023 तक पीएमजीएसवाई के तहत कुल 1,62,384 स्थानों पर बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की गई है। इसके बाद इसके नए समांतर कार्य, अर्थात् पीएमजीएसवाई-2, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई-3 को ग्रामीण सड़कों के उन्नयन तथा एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व वाली सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के साथ जोड़ा गया। अपनी शुरूआत से 13 जनवरी, 2023 तक पीएमजीएसवाई/इसके समांतर कार्यों के तहत कुल 8,04,620 किमी. लम्बाई की सड़क स्वीकृत की गई और 7,24,191 किमी. पूरी की गई। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में पीएमजीएसवाई के सभी जारी घटकों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक प्रति वर्ष 19000 करोड़ रू. की सतत सहायता की आवश्यकता होगी।

18. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरूआत जून, 2011 हुई थी। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वसहायता समूहों में संगठित करना और ऐसी अवधि तक उन्हें सहायता प्रदान करना जब तक कि वे अपनी आय में अच्छी खासी वृद्धि प्राप्त करे और गरीबी से ऊपर उठे। डीएवाई-एनआरएलएम में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं 9.0 से 10.0 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता रिवोल्विंग निधि (आरएफ) और समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) है, जो स्वसहायता समूहों और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधा देने के लिए दी जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3.00 लाख रू. तक के ऋण आने के लिए महिला एसएचजी को ब्याज माफ करने और समय पर ब्याज का भुगतान करने पर इस ब्याज दर को 4 प्रतिशत तक कम करने का प्रावधान है।

18.01. **एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक:** दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरूआत जून, 2011 हुई थी। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वसहायता समूहों में संगठित करना और ऐसी अवधि तक उन्हें सहायता प्रदान करना जब तक कि वे अपनी आय में अच्छी खासी वृद्धि प्राप्त करे और गरीबी से ऊपर उठे। डीएवाई-एनआरएलएम में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं 9.0 से 10.0 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता रिवोल्विंग निधि (आरएफ) और समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) है, जो स्वसहायता समूहों और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधा देने के लिए दी जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3.00 लाख रू. तक के ऋण आने के लिए महिला एसएचजी को ब्याज माफ करने और समय पर ब्याज का भुगतान करने पर इस ब्याज दर को 4 प्रतिशत तक कम करने का प्रावधान है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम की एक उप योजना है। इसका उद्देश्य गरीबों की मौजूदा कृषि आधारित आजीविकाओं को सुदृढ़ बनाना और कृषि में महिलाओं की भागीदारी तथा उत्पादकता को बढ़ाना है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) स्वसहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाने में सहायता करता है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों को सहायता देने के लिए एक पारि प्रणाली स्थापित करके किया जाता है।

19. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन:** श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) एक ऐसा अनोखा मिशन है, जिसकी रूप कल्पना विकास के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को उत्प्रेरण अंतक्षेप प्रदान करने के लिए की गई है। यह मिशन चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से संधारणीय क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करता है और सामाजिक, आर्थिक तथा बुनियादी एवं डिजिटल सुविधाएं प्रदान करते हुए इनको सुदृढ़ बनाने और इस प्रकार देश में संधारणीय और संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है। इस नवीन मिशन के तहत देश भर में 300 रूर्बन क्लस्टरों विषयगत आर्थिक विकास बिन्दुओं को रूप में विकसित किया जा रहा है। आज की तारीख तक 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 296 क्लस्टरों को चिह्नित एवं अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा राज्यों के साथ सतत संपर्क के माध्यम से प्रत्येक रूर्बन क्लस्टर के लिए अनुमानित निवेश के 30 प्रतिशत निधि समर्थन, प्रमुख अंतर्निधियन (सीजीएफ) के रूप में, के साथ 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 289 एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाएं (आईसीएपी) को अनुमोदित किया गया है, जबकि 70 प्रतिशत निधि राज्यों द्वारा समान्य राज्य एवं केंद्रीय कार्यक्रमों के अभिसरण से जुटाई जाएंगी। चुनिंदा ग्राम पंचायतों में केंद्रीत क्षेत्र विकास को प्राप्त करने का क्लस्टर आधारित मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रयासों और संसाधनों को विकेंद्रीकृत रूप से नियोजित तथा सकुशल रूप से विपथित किया गया है ताकि वे अपनी विकास संबंधी महत्वकांक्षाओं को प्राप्त कर सके। इस मिशन के तहत ऐच्छिक रूप से परिकल्पित इक्कीस (21) घटक इन क्लस्टर क्षेत्रों में समावेशी विकास को प्रमुख रूप से गति प्रदान करेंगे। इन 289 क्लस्टरों में मिशन के 3 चरणों के तहत अभिसरण और प्रमुख अंतर्निधियन (सीजीएफ) गतिविधियों के अंतर्गत 27,945 करोड़ रू. का निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

20. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण:** ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधा वाले 2.95 करोड़ पक्के मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 01 अप्रैल, 2016 से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित 2.94 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अब तक 2.79 करोड़ लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए गए हैं और 2.13 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।